ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों के प्रति व्यवहार एवं देखभाल की स्थिति

Status of Behavior and Care Towards The Elderly In Rural Areas

Paper Submission: 29/01/2021, Date of Acceptance: 20/02/2021, Date of Publication: 25/02/2021

अम्बरीश कुमार राय
शोध छात्र,
समाज कार्य विभाग,
जैन विश्वभारती संस्थान,
लाडनूं, राजस्थान, भारत

बिजेन्द्र प्रधान
उपाचार्य एवं अध्यक्ष,
समाज कार्य विभाग,
जैन विश्वभारती संस्थान,
लाडनूं, राजस्थान, भारत

सारांश

वृद्धावस्था व्यक्ति के जीवन का वह मोड़ होता है, जब व्यक्ति की इन्द्रियाँ शिथिल होने लगती हैं तथा उसकी कार्य क्षमता घटने लगती है। अतः ऐसी अवस्था में वह अपने पारिवारिक सदस्यों एवं परिजनों से स्नेह, सुरक्षा, सेवा, एवं अपनेपन की भावना के साथ–साथ आराम की भी अपेक्षा करता है जिससे वह अपना शेष जीवन बिना किसी तनाव से गुजार सके। लेकिन कई बार यह देखा गया है कि जानबूझकर या अनजाने में वृद्धों के साथ उनके अति–घनिष्ठ लोगों द्वारा ही ऐसा व्यवहार किया जाता है, जो वृद्धों के प्रति उपेक्षा, लापरवाही, अवमानना, अपमान या तिरस्कार का भाव प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत शोधपत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों के प्रति व्यवहार एवं देखभाल की स्थिति का अध्ययन किया गया है। विश्लेषणात्मक प्रकृति के इस अध्ययन में वर्णनात्मक सह निदानात्मका शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है, जिसमें दैव निदर्शन का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ स्थिति विकासखण्ड फतेहपुर मण्डांव के दो ग्रामों से 150 वृद्धों का उत्तरदाता के रूप में चयन कर स्व–निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सर्वेक्षण द्वारा आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया गया है। संकलित सूचनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने परिवार, पड़ोस या समाज के लोगों के व्यवहार में अवमानना (84.00%), उपेक्षा (76.00%), अपमान (70.00%) और/या तिरस्कार (62.67%) का भाव अनुभव किया है। उनके साथ दुर्व्यवहार/उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों में पुत्र (65.33%), पुत्रवधू (58.67%), पड़ोसी (30.67%), पौत्र–पौत्री (14.00%), जीवन–साथी (14.00%), पुत्री–दामाद (12.00%) और देखभालकर्ता (5.33%) सम्मिलित किया है। दो–तिहाई से भी अधिक (68.67%) उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से आंशिक (38.67%) या बहुत कम (30.00%) संतुष्ट हैं। देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि में लिंगवार (X^2= 6.900, स्वतंत्रता अंश 2), शैक्षिक वर्गवार (X^2= 9.514, स्वतंत्रता अंश 4) तथा आर्थिक स्थितिवार (X^2= 11.196, स्वतंत्रता अंश 4) सार्थक अन्तर है, यद्यपि उत्तरदाताओं की देखभाल से संतुष्टि के स्तर में आयु वर्गवार (X^2= 6.143) तथा सामाजिक वर्गवार (X^2= 7.692) सार्थक अन्तर नहीं है। अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि वृद्धों के साथ व्यवहार और उनकी देखभाल की स्थिति अच्छी नहीं है। प्रशासन एवं न्यायपालिका की भूमिका सीमित होने के कारण यह जिम्मेदारी परिवार और समाज के युवावर्ग पर ही है कि वह अपने वृद्धों की अपेक्षित देखभाल करे, तथा उनके साथ ऐसा व्यवहार करे कि वृद्धजनों को यह न लगे कि उनकी उपेक्षा, या अवमानना की जा रही है।

Old age is the turning point in a person's life, when one's senses begin to relax and their work capacity starts to decrease. Therefore, in such a state he expects affection, security, service, and a sense of belonging as well as comfort from his family members and family so that he can spend the rest of his life without any stress. But many times it has been observed that the elders are treated intentionally or unknowingly by their very intimate people, displaying a sense of neglect, carelessness, contempt, disrespect or disdain towards the aged. In the paper presented, the situation of behavior and care towards the elderly in rural areas has been studied. In this study of analytical nature, descriptive co-operative research structure has been used, in which self-produced interview by selecting 150 elders from two villages of Uttar Pradesh's Mhow Situation Development Block Fatehpur Mandaon using daily illustration. The necessary information has been compiled by the survey through the schedule.

मुख्य शब्द : वृद्धावस्था, वृद्धजन, दुर्व्यवहार, देखभाल।
Old age, old age, abuse, care.

प्रस्तावना

वृद्धावस्था का सम्बन्ध लोगों की बढ़ती उम्र से है। यह मानव विकास की ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति की इन्द्रियाँ कमजोर होने के साथ उसकी बहुत सारी क्षमताएँ घट जाती हैं। चार्ल्स बेकर (1959) के अनुसार वृद्धावस्था व्यक्ति के उन परिवर्तनों की द्योतक है जो समय के परागमन का परिणाम होते हैं। ये परिवर्तन दैहिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं आर्थिक हो सकते हैं। हैंडलर (1960) का मानना है कि ''बुढ़ापा एक परिपक्व जीव का समय–आधारित क्षय है, जो अनिवार्य व अपरिवर्तनीय रूप से सभी प्रजातियों के सभी सदस्यों के आंतरिक रूप में परिवर्तन लाता है, जैसे समय बीतने के साथ, वे पर्यावरणीय तनावों का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है''। वृद्धावस्था को प्यार और समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इसे उपेक्षित किया जाता है, तो वृद्धजन बहुत दुखी और बुरा महसूस करते हैं। कई बार, वृद्धजनों को देर से भोजन दिया जाता है और सामान्यतः भोजन के संबंध में उनकी पसन्द–नापसंद का ध्यान नहीं रखा जाता। परिवार के सदस्यों के पास उनसे संवाद करने का समय नहीं होता है। ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे उनके कमरे में ही न आएं, और जब उनकी बुनियादी जरूरतों या दिनचर्या के बारे में पूछताछ करने के लिए आयें भी तो उनके साथ असभ्यता या उदासीनता का व्यवहार करें। बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं और यदि किसी दूर स्थान पर रहते हैं, तो वे उतनी बार नहीं आते हैं, जितनी बार उनसे उम्मीद की जाती है। कई बार बच्चों द्वारा उनका आर्थिक शोषण भी होता है (वर्द्धन, 2017:99)।

वृद्ध, जो शारीरिक रूप से कमजोर और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, वैश्विक रूप से दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के शिकार हैं और भारत भी कोई अपवाद नहीं है। वृद्धों से दुर्व्यवहार करने वाले सामान्यतः परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, दोस्त या विश्वसनीय देखभाल करने वाले होते हैं।

वृद्ध माता–पिता की देखभाल सुनिश्चित करने और उनके प्रति व्यवहार को नियमित करने के लिए भारत में अनेक संवैधानिक, विधिक एवं नीतिगत उपाय किये गये हैं। समय–समय पर न्यायिक निर्णयों द्वारा भी वृद्धजनों की समस्याओं को संबोधित किया गया है। भारत की आजादी से बहुत पहले 1879 में नारायणराव रामचंद्र पंत बनाम रमाबाई (आई.एल.आर. (1879) 3 बाम्बे 415) के मामले में प्रिवी काउंसिल ने मृतक की वृद्ध विधवा के भरण–पोषण के अधिकार को वैधता प्रदान की थी। स्वतंत्रता पश्चात् वर्ष 1956 में हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) द्वारा प्रत्येक हिंदू पुत्र/पुत्री को अपने वृद्ध माता–पिता के भरण–पोषण का दायित्व निभाने हेतु बाध्य किया गया, जबकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी0आर0पी0सी0, 1973) की धारा 125(1)(डी) द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने असमर्थ माता–पिता का भरण–पोषण करने हेतु बाध्य किया गया। वहीं उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में इस धारा की व्याख्या कर विवाहित या अविवाहित बेटे, बेटियों, सभी को समान रूप से अपने असमर्थ माता–पिता के भरण–पोषण हेतु जिम्मेदार बनाया है।

वर्ष 2007 में पारित माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 ने वृद्धजनों के अधिकारों की ऊँचाई प्रदान की है। यह अधिनियम वृद्ध व्यक्तियों को शीघ्र और प्रभावी राहत प्रदान करने के लिए रखरखाव न्यायाधिकरण की स्थापना करने और प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना का भी प्रावधान है। इस अधिनियम के अनुसार हस्तांतरित सम्पत्ति के लाभार्थी बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा हस्तांतरित करने वाले वृद्ध की बुनियादी सुविधाओं और भौतिक जरूरतों को पूरा करने से इंकार करने की स्थिति में सम्पत्ति का स्थानान्तरण शून्य बनाया जा सकता है। सन्नी पॉल व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य व अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 मार्च 2017 को निर्णय दिया कि जो बच्चे अपने माता–पिता के घर में रहने के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है।

भारत में, स्थापित पारंपरिक परिवार वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता था। लेकिन, अध्ययनों से पता चलता है कि वर्तमान में वृद्धों के बीच सामाजिक अलगाव का उद्भव हो रहा है (गोस्वामी, 2005)। यह सामाजिक अलगाव वृद्ध आयु वर्ग के जीवन प्रतिरूप को प्रभावित करता है (एन0एस0एस0ओ0, 2006)। हमारे वृद्ध चेहरे से तो हँसते रहते हैं, हमें प्यार दिखाते हैं, दिल से दुआ भी देते हैं पर स्वयं को किस्मत के हवाले कर खुल के आँसू भी नहीं बहा पाते हैं। बचपन में यही बच्चे माँ की गोदी गीली करते–करते आज माँ की आँखों को गीला करने लगे हैं। फिर भी जीवन के इस पड़ाव में आधुनिक सभ्य समाज का यह उदाहरण घर–घर की कहानी बनती जा रही है। शायद वृद्ध अब अनवांटेड हो गये हैं। इस आधुनिक सभ्य सुशिक्षित समाज को शायद मलाईदार बुजुर्गों से ही मतलब रह गया है, जब मलाई खत्म बुजुर्गों की जरूरत खत्म। बुजुर्गों की सबसे बड़ी गलती है, उनके द्वारा किया गया अपनी औलादों (सुपूतों) पर विश्वास। इस विश्वास से इन्हें विष तो मिलता है, 'वास' सिर्फ 'आस' में बदल कर रह जाती है (सिंह, 2011:31)।

भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी। उनकी न केवल देखभाल होती थी, बल्कि परिवार का मुखिया होने के नाते उन्हें परिवार के निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने का अधिकार था, परन्तु जैसे–जैसे औद्योगीकरण, नगरीकरण व सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, वैसे ही संयुक्त परिवारों का विघटन शुरू हो गया है (यादव, 2011:6)। निर्धनता, बेकारी, मूल्य वृद्धि ने परिवार के सदस्यों को वृद्धों के प्रति अपने दायित्वबोध से पीछे कर दिया है। अंतःपीढ़ी संघर्ष बढ़ने लगा है। वृद्धों की उपेक्षा होने लगी है एवं वृद्धावस्था संरक्षण एक सामाजिक समस्या बनने लगी है।

इन्हीं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोधपत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों के प्रति व्यवहार एवं देखभाल की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धजनों के प्रति व्यवहार एवं देखभाल की स्थिति का अध्ययन करना था। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित थे–

1. वृद्धजनों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, विधिक उपाय एवं कार्यक्रमों/योजनाओं का मूल्यांकन करना।
2. वृद्धजनों के लिए उपलब्ध देखभाल एवं सुरक्षा सेवाओं का मूल्यांकन करना।
3. वृद्धजनों के प्रति परिवार एवं समाज के सदस्यों के व्यवहार की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का विश्लेषण करना।

साहित्यावलोकन

हेल्पएज इण्डिया ने वर्ष 2010 में देश के 8 शहरों में रहने वाले 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 833 व्यक्तियों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 19.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव किया है। उनके द्वारा अनुभव किए गए दुर्व्यवहारों में मौखिक दुर्व्यवहार (51.2 प्रतिशत), उपेक्षा (48.1 प्रतिशत), अनादर (40.1 प्रतिशत), भावनात्मक दुर्व्यवहार (37.0 प्रतिशत) और आर्थिक दुरुपयोग (32.7 प्रतिशत) प्रमुख थे। वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों में बहू (74.7 प्रतिशत) और बेटा (59.9 प्रतिशत) सबसे बड़े दुर्व्यवहारकर्ता के रूप में चिन्हित हुए हैं।

शर्मा एवं चौधरी (2011) के अध्ययन में पाया गया कि हालांकि बच्चे अपने बूढ़े माता–पिता की देखभाल करते हैं लेकिन वृद्धजनों में संतुष्टि का स्तर उम्मीद से कम है।

हेल्पएज इंडिया (2011) ने भारत के 12 प्रमुख शहरों में एक अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के वृद्ध–दुर्व्यवहारों को रेखांकित किया है। इस अध्ययन के अनुसार, वृद्धजनों ने अपने साथ मौखिक रूप से (60 प्रतिशत), शारीरिक रूप से (48 प्रतिशत), भावनात्मक रूप से (37 प्रतिशत), और आर्थिक रूप से (35 प्रतिशत) दुर्व्यवहार किये जाने की बात कही है। वहीं 20 प्रतिशत वृद्ध स्वयं को परिवार के साथ–साथ समाज द्वारा उपेक्षित किया जाना मानते हैं।

एजवेल फाउण्डेशन (2017) के देशव्यापी अध्ययन में 63.92 प्रतिशत उत्तरदाताओं (70.82 प्रतिशत शहरी और 60.47 प्रतिशत ग्रामीण) ने स्वीकार किया कि उन्हें विभिन्न अवसरों पर उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। 57.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं के साथ दुर्व्यवहार का स्थान उनके अपने घर हैं, जबकि 23.54 प्रतिशत प्रभावित उत्तरदाताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर दुर्व्यवहार की शिकायत की।

वर्द्धन (2017) ने अपने अध्ययन में पाया कि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने साथ दुर्व्यवहार होने की बात स्वीकार की। दुर्व्यवहार के मुख्य कारणों में आर्थिक निर्भरता (40 प्रतिशत), भावनात्मक निर्भरता (25 प्रतिशत), भौतिक गतिहीनता (15 प्रतिशत) और संपत्ति (10 प्रतिशत) आदि सम्मिलित थे। उत्तरदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों में बहू (50 प्रतिशत), बेटा (42 प्रतिशत), बेटी (10 प्रतिशत) व भाई, बहन या अन्य रिश्तेदार (23 प्रतिशत) आदि निकट संबंधी सम्मिलित थे।

वार व अन्य (2018) ने अपने अध्ययन में पाया कि पारंपरिक अर्थों में, वृद्धजनों के प्रति युवा पीढ़ी के कर्तव्य और दायित्वों में तेजी से गिरावट आई है जिसने वृद्ध लोगों में एकाकीपन की भावना और अलगाव की स्थिति पैदा की है और उन्हें लगता है कि वे अवांछित हैं और बुढ़ापे के कारण अनुपयोगी हो गये हैं। आधुनिक औद्योगिक और भौतिकतावादी समाज के भीतर, एक तरफ जहाँ वृद्धों के प्रति पारंपरिक मूल्यों में गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर पर्याप्त वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अभाव में वृद्ध लोगों को वर्तमान पारिवारिक और सामाजिक ढाँचे में स्वयं को समायोजित करना कठिन हो रहा है।

हेल्पएज इण्डिया (2018) द्वारा किये गये सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत वृद्धों ने यह स्वीकार किया कि उनके समाज में वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार होता है, तथा एक–चौथाई प्रतिभागी वृद्धजनों ने स्वयं भुक्तभोगी होना स्वीकार किया। उनके द्वारा अनुभव किये गये दुर्व्यवहार का सबसे सामान्य रूप अनादर (56 प्रतिशत), मौखिक दुर्व्यवहार (49 प्रतिशत) और उपेक्षा (33 प्रतिशत) था। दुर्व्यवहार करने वालों में बेटा (57 प्रतिशत) और बहू (38 प्रतिशत) सर्व–प्रमुख थे।

शोध परिकल्पना/शोध प्रश्न

1. ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धजनों की देखभाल एवं उनके प्रति लोगों के व्यवहार की प्रकृति कैसी है?
2. क्या वृद्धजनों की देखभाल की स्थिति में आयु वर्गवार, सामाजिक वर्गवार, लिंगवार, शैक्षिक वर्गवार एवं आर्थिक वर्गवार कोई अन्तर है?

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक है, जिसमें वर्णनात्मक सह निदानात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ स्थिति विकासखण्ड फतेहपुर मण्डांव के दो ग्रामों कटघरा शंकर (368) व मर्यादपुर (521) में रहने वाले 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के कुल 889 वृद्धजनों में से दैव निदर्शन की समानुपातिक विधि का प्रयोग करते हुए 150 वृद्धों का उत्तरदाता के रूप में चयन किया गया है, तथा चयनित उत्तरदाताओं से स्व–निर्मित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सर्वेक्षण द्वारा आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया गया है। संकलित सूचनाओं को शोध के उद्देश्यों एवं परिकल्पना/शोध प्रश्नों के अनुसार तालिकाबद्ध करके औसत, प्रतिशत मानक विचलन, काई–वर्ग परीक्षण आदि सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग कर विश्लेषित किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका सं0 1 : उत्तरदाताओं की वैयक्तिक पृष्ठभूमि

वैयक्तिक चर	**उत्तरदाताओं का वितरण (छत्र150)**		
आयुवर्ग	60–69	80–79	80 व अधिक
सं0	66	52	32
प्रति0	44.00	34.67	21.33
लिंग	पुरुष	महिला	.
सं0	79	71	.
प्रति0	52.67	47.33	.
शैक्षिक स्तर	अल्प शिक्षित	मध्यम शिक्षित	उच्च शिक्षित
सं0	64	57	29
प्रति0	42.67	38.00	19.33
सामाजिक वर्ग	सामान्य वर्ग	अ0पि0व0	अनु0 जाति
सं0	59	55	36
प्रति0	39.33	36.67	24.00
आर्थिक स्थिति	कमजोर	सामान्य	अच्छी
सं0	51	56	43
प्रति0	34.00	37.33	28.67

तालिका सं0 1 से पता चलता है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित कुल उत्तरदाताओं में से 44.00% उत्तरदाताओं की आयु 60–69 वर्ष, 34.67% उत्तरदाताओं की आयु 70–79 वर्ष, तथा 21.33% उत्तरदाताओं की आयु 80 वर्ष व अधिक है। वहीं 52.67% उत्तरदाता पुरुष एवं 47.33% उत्तरदाता महिला हैं। प्रतिदर्श में सम्मिलित 42.67% उत्तरदाता अल्प शिक्षित (निरक्षर, साक्षर, या जू0हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त), 38.00% उत्तरदाता मध्यम शिक्षित (हाईस्कूल या इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त) एवं 19.33% उत्तरदाता उच्च शिक्षित (स्नातक या उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त) हैं।

तालिका सं0 1 से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित कुल उत्तरदाताओं में से 39.33% उत्तरदाता सामान्य वर्ग के, 36.67% उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं 24.00% उत्तरदाता अनुसूचित जाति के हैं। वहीं 37.33% उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति सामान्य, 34.00% उत्तरदाताओं की कमजोर तथा 28.67% उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है।

तालिका सं0 2 : उत्तरदाताओं द्वारा परिवार व समाज के सदस्यों के व्यवहार में निहित दुर्व्यवहार की अनुभूति

व्यवहार की प्रकृति	**प्रकृति की तीव्रता**						
	अधिकतर		**कभी–कभी**		**बहुत कम**		**कुल**
	सं0	**प्रतिशत**	**सं0**	**प्रतिशत**	**सं0**	**प्रतिशत**	
उपेक्षा	67	44.67	47	31.33	36	24.00	150
अपमान	54	36.00	51	34.00	45	30.00	150
अवमानना	69	46.00	57	38.00	24	16.00	150
तिरस्कार	43	28.67	51	34.00	56	37.33	150

तालिका सं0 2 से स्पष्ट होता है कि परिवार व समाज के सदस्यों द्वारा किये जा रहे व्यवहार में उपेक्षा का भाव 44.67% उत्तरदाताओं ने अधिकतर, 31.33% उत्तरदाताओं ने कभी–कभी तथा 24.00% उत्तरदाताओं ने बहुत कम बार अनुभव किया है। वहीं उनके व्यवहार में अपमान का भाव 36.00% उत्तरदाताओं ने अधिकतर, 34.00% उत्तरदाताओं ने कभी–कभी तथा 30.00% उत्तरदाताओं ने बहुत कम बार अनुभव किया है, जबकि इन व्यवहारों में अवमानना का भाव 46.00% उत्तरदाताओं ने अधिकतर, 38.00% उत्तरदाताओं ने कभी–कभी तथा 16.00% उत्तरदाताओं ने बहुत कम बार अनुभव किया है। इसी तरह परिवार व समाज के सदस्यों के व्यवहार में 37.33% उत्तरदाताओं ने बहुत कम बार, 34.00% उत्तरदाताओं ने कभी–कभी तथा 28.67% उत्तरदाताओं ने अधिकतर तिरस्कार का भाव अनुभव किया है।

तालिका सं0 3 : उत्तरदाताओं के साथ दुर्व्यवहार/उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति

दुर्व्यवहार/उत्पीड़न करने वाले लोग	**संख्या**	**प्रतिशत**
जीवन साथी	21	14.00
पुत्र	98	65.33
पुत्रवधू	88	58.67
पुत्री–दामाद	18	12.00

पौत्र–पौत्री	21	14.00
पड़ोसी	46	30.67
देखभालकर्ता	8	5.33
आधार	**150**	

तालिका सं0 3 से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने अपने साथ दुर्व्यवहार/उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों में पुत्र (65.33%) और पुत्रवधू (58.67%) को सम्मिलित किया है। इनके अतिरिक्त अनेक उत्तरदाताओं ने पड़ोसी (30.67%), पौत्र–पौत्री (14.00%), जीवन–साथी (14.00%), पुत्री–दामाद (12.00%) और देखभालकर्ता (5.33%) को भी दुर्व्यवहार/उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित किया है।

दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने में सहायक की आवश्यकता

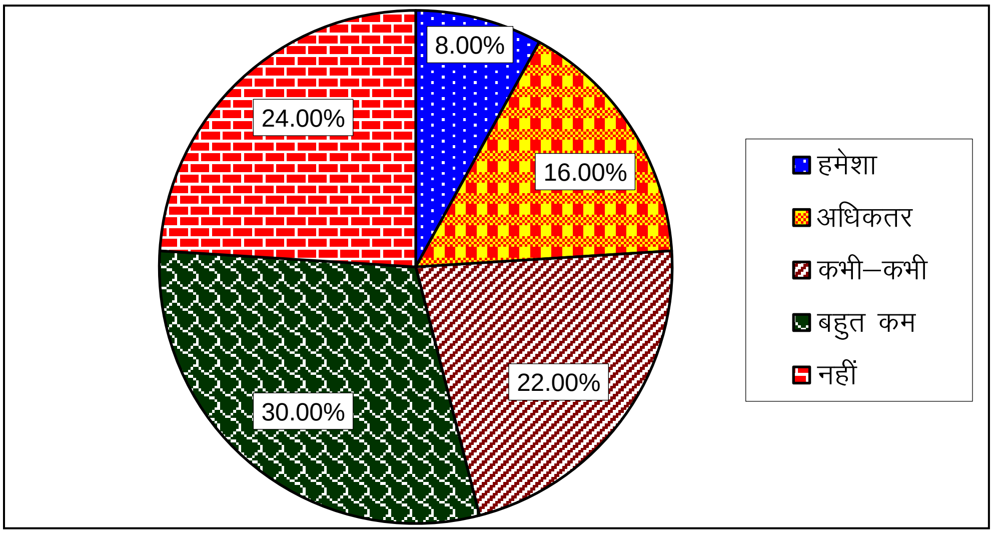

चित्र सं0 1 : दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने में सहायक की आवश्यकता के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

चित्र सं0 1 में दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने में सहायक की आवश्यकता के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 30.00% उत्तरदाताओं को दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए सहायक की बहुत कम और 22.00% उत्तरदाताओं को कभी–कभी आवश्यकता महसूस होती है, जबकि 16.00% उत्तरदाताओं को दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए सहायक की अधिकतर और 8.00% उत्तरदाताओं को हमेशा आवश्यकता महसूस होती है। वहीं 24.00% उत्तरदाताओं को अपनी दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए सहायक की आवश्यकता कभी भी महसूस नहीं होती है।

दैनिक क्रियाओं में सहायता करने वाले व्यक्ति

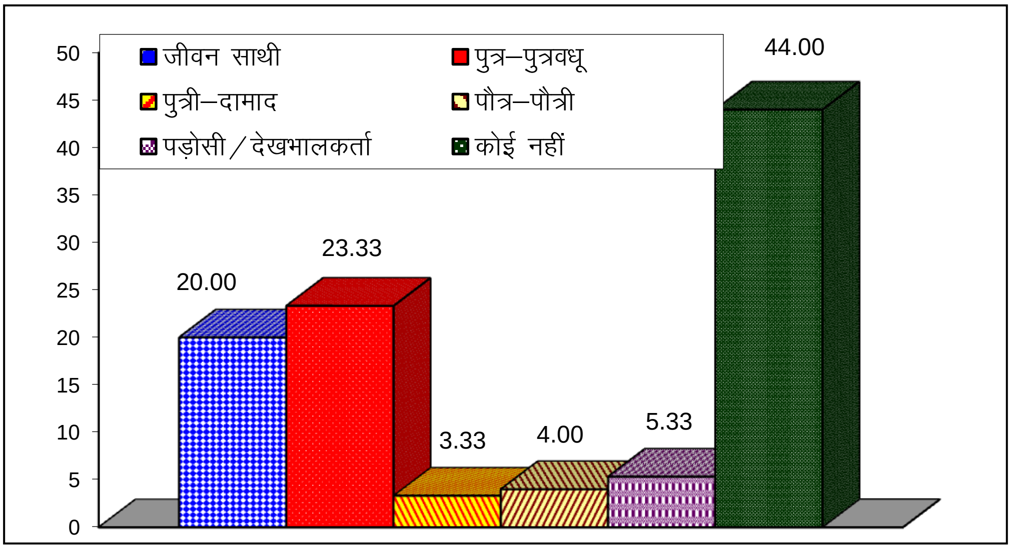

चित्र सं0 2 : दैनिक क्रियाओं में सहायता करने वाले व्यक्ति

चित्र सं0 2 से स्पष्ट होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उत्तरदाताओं को उनकी दैनिक क्रियाएं सम्पन्न कराने में सहायता करने वाले व्यक्तियों में पुत्र/पुत्रवधू (23.33%), जीवन साथी (20.00%), पड़ोसी/देखभालकर्ता (5.33%), पौत्र–पौत्री (4.00%), और पुत्री–दामाद (3.33%) सम्मिलित हैं। वहीं 44.00% उत्तरदाताओं का कहना है कि दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने में या तो कोई भी उनकी सहायता नहीं करता या फिर उन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है।

तालिका सं0 4 : अस्वस्थ होने पर उत्तरदाताओं को उपचार हेतु ले जाने वाले व्यक्ति

उपचार में सहायक व्यक्ति	संख्या	प्रतिशत
जीवन साथी	19	12.67
पुत्र–पुत्रवधू	81	54.00
पुत्री–दामाद	11	7.33
पौत्र–पौत्री	9	6.00
पड़ोसी/देखभालकर्ता	14	9.33
कोई नहीं	16	10.67
योग	**150**	**100.00**

तालिका सं0 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बीमार पड़ने पर उत्तरदाताओं को उपचार हेतु किसी चिकित्सक के पास या चिकित्सालय ले जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में पुत्र/पुत्रवधू (54.00%), जीवन साथी (12.67%), पड़ोसी/देखभालकर्ता (9.33%), पुत्री–दामाद (7.33%) और पौत्र–पौत्री (6.00%) सम्मिलित हैं। वहीं 10.67: उत्तरदाताओं का कहना है कि बीमार पड़ने पर उपचार हेतु किसी चिकित्सक के पास या चिकित्सालय जाने में कोई भी उनकी सहायता नहीं करता।

तालिका सं0 5 : बीमार होने पर घर पर उत्तरदाताओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति

देखभाल करने वाले व्यक्ति	संख्या	प्रतिशत
जीवन साथी	27	18.00
पुत्र–पुत्रवधू	77	51.33
पुत्री–दामाद	21	14.00
पौत्र–पौत्री	14	9.33
पड़ोसी/देखभालकर्ता	7	4.67
कोई नहीं	4	2.67
योग	**150**	**100.00**

तालिका सं0 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बीमार होने की स्थिति में उत्तरदाताओं की घर में देखभाल करने वाले व्यक्तियों में पुत्र/पुत्रवधू (51.33%), जीवन साथी (18.00%), पुत्री–दामाद (14.00%), पौत्र–पौत्री (9.33%), और पड़ोसी/देखभालकर्ता (4.67%) सम्मिलित हैं। वहीं 2.67% उत्तरदाताओं का कहना है कि बीमार पड़ने पर उनकी कोई भी देखभाल नहीं करता।

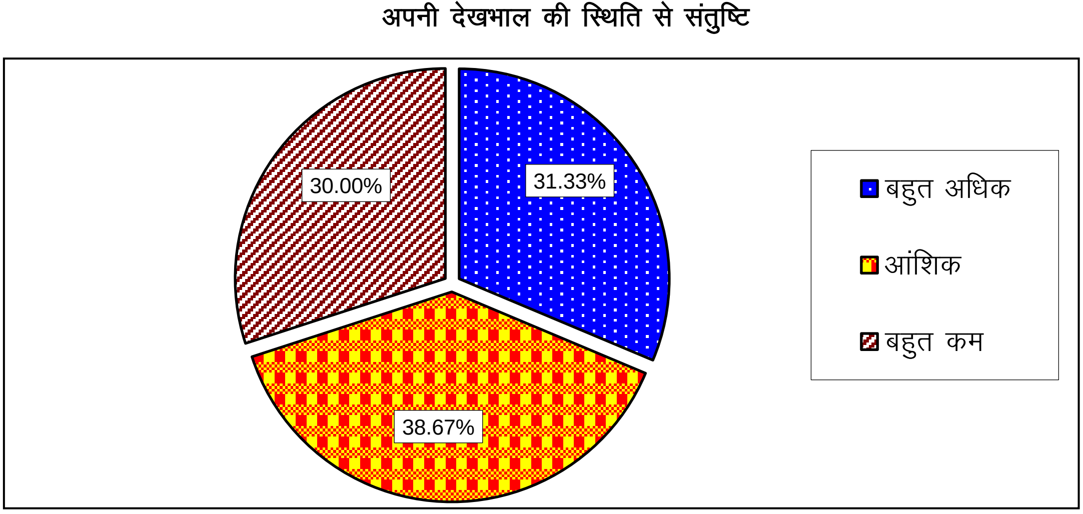

चित्र सं0 3 : देखभाल की स्थिति से संतुष्टि के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण

चित्र सं0 3 में अपनी देखभाल की स्थिति से संतुष्टि के अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

38.67% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से आंशिक संतुष्ट हैं, जबकि 31.33% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक एवं 30.00% उत्तरदाता बहुत कम संतुष्ट हैं।

तालिका सं 6 : देखभाल से संतुष्टि की स्थिति के अनुसार उत्तरदाताओं का आयु वर्गवार वितरण

देखभाल से संतुष्टि	आयुवर्ग के अनुसार देखभाल से संतुष्टि						कुल संख्या
	युवा वृद्ध		प्रौढ़ वृद्ध		वयोवृद्ध		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
बहुत अधिक	25	37.88	14	26.92	8	25.00	47
आंशिक	23	34.85	25	48.08	10	31.25	58
बहुत कम	18	27.27	13	25.00	14	43.75	45
योग	**66**	**100.00**	**52**	**100.00**	**32**	**100.00**	**150**

काई वर्ग का प्राप्त मान = 6.143

तालिका सं0 6 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुल युवावृद्ध (60–69 वर्ष आयुवर्ग) उत्तरदाताओं में से 37.88% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक, 34.85% उत्तरदाता आंशिक रूप से एवं 27.27% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम संतुष्ट हैं। इसी तरह कुल प्रौढ़वृद्ध (70–79 वर्ष आयुवर्ग) उत्तरदाताओं में से 48.08% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से आंशिक, 26.92% उत्तरदाता बहुत अधिक एवं 25.00% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम संतुष्ट हैं। वहीं कुल वयोवृद्ध (80 वर्ष व अधिक आयुवर्ग) उत्तरदाताओं में से 43.75% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम, 31.25% उत्तरदाता आंशिक रूप से एवं 25.00% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक संतुष्ट हैं।

स्पष्ट है कि देखभाल से उत्तरदाताओं की संतुष्टि के स्तर में आयु वर्गवार अन्तर है। देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि के आयु वर्गवार वितरण का आगणित काई–वर्ग का मान (6.143) स्वतंत्रता अंश 4 एवं संभाव्यता स्तर 0.05 पर काई–वर्ग के तालिका मान (9.488) से कम प्राप्त हुआ है। अतः यह कहा जा सकता है कि देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि के स्तर में आयु वर्गवार सार्थक अन्तर नहीं है। यद्यपि, युवावृद्धों में देखभाल से संतुष्टि का स्तर वयोवृद्धों से अधिक है। सम्भवतः इसका कारण यह हो सकता है कि युवावृद्धों को देखभाल की कम आवश्यकता होती है और सामाजिक–आर्थिक जीवन में उनकी सक्रियता भी अधिक रहती है जिससे परिवार/समाज के युवा उनकी अनदेखी नहीं करते, बल्कि परस्पर लाभ की आशा में सहायता के लिए तैयार रहते हैं।

तालिका सं0 7 : देखभाल से उत्तरदाताओं की संतुष्टि की सामाजिक वर्गवार स्थिति

देखभाल से संतुष्टि	देखभाल से संतुष्टि की सामाजिक वर्गवार स्थिति						कुल संख्या
	सामान्य वर्ग		अ0पि0व0		अनु0 जाति		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
बहुत अधिक	25	42.37	14	25.45	8	22.22	47
आंशिक	22	37.29	23	41.82	13	36.11	58
बहुत कम	12	20.34	18	32.73	15	41.67	45
योग	**59**	**100.00**	**55**	**100.00**	**36**	**100.00**	**150**

काई वर्ग का प्राप्त मान = 7.692

तालिका सं0 7 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग के 42.37% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक, 37.29% उत्तरदाता आंशिक एवं 20.34% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम संतुष्ट हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के 41.82% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से आंशिक, 32.73% उत्तरदाता बहुत कम एवं 25.45% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक संतुष्ट हैं। वहीं अनुसूचित जाति के 41.67% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम, 36.11% उत्तरदाता आंशिक रूप से एवं 22.22% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक संतुष्ट हैं। इस तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि देखभाल से उत्तरदाताओं की संतुष्टि की सामाजिक वर्गवार स्थिति में अन्तर है। इस अन्तर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए काई–वर्ग परीक्षण का प्रयोग करने पर काई–वर्ग का मान प्राप्त मान 7.692 मिला है, जो स्वतंत्रता अंश 4 एवं संभाव्यता स्तर 0.05 पर काई–वर्ग के तालिका मान (9.488) से कम है। अतः यह कहा जा सकता है कि देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि में सामाजिक वर्गवार सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका सं0 8 : देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि की लिंगवार स्थिति

देखभाल से संतुष्टि	देखभाल से संतुष्टि की लिंगवार स्थिति				कुल संख्या
	पुरुष		महिला		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
बहुत अधिक	32	40.51	15	21.13	47
आंशिक	28	35.44	30	42.25	58

बहुत कम	19	24.05	26	36.62	45
कुल	**79**	**100.00**	**71**	**100.00**	150

काई वर्ग का प्राप्त मान = 6.900

तालिका सं0 8 से स्पष्ट होता है कि कुल पुरुष उत्तरदाताओं में से 40.51% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक, 35.44% उत्तरदाता आंशिक रूप से एवं 24.05% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम संतुष्ट हैं। वहीं कुल महिला उत्तरदाताओं में से 42.25% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से आंशिक, 36.62% उत्तरदाता बहुत कम एवं 21.13% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक संतुष्ट हैं।

स्पष्ट है कि देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि में लिंगवार अन्तर है। इस वितरण का आगणित काई–वर्ग का मान (6.900) स्वतंत्रता अंश 2 एवं संभाव्यता स्तर 0.05 पर काई–वर्ग के तालिका मान (5.991) से अधिक प्राप्त हुआ है, जो यह स्पष्ट करता है कि देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि के लिंगवार वितरण में सार्थक अन्तर है। यह भी स्पष्ट होता है कि पुरुष उत्तरदाताओं की अपेक्षा महिला उत्तरदाताओं में देखभाल से संतुष्टि कम है।

तालिका सं0 9 : देखभाल से उत्तरदाताओं की संतुष्टि की शैक्षिक वर्गवार स्थिति

देखभाल से संतुष्टि	देखभाल से संतुष्टि की शैक्षिक वर्गवार स्थिति						कुल संख्या
	अल्प शिक्षित		मध्यम शिक्षित		उच्च शिक्षित		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
बहुत अधिक	16	25.00	18	31.58	13	44.83	47
आंशिक	21	32.81	26	45.61	11	37.93	58
बहुत कम	27	42.19	13	22.81	5	17.24	45
योग	**64**	**100.00**	**57**	**100.00**	**29**	**100.00**	**150**

काई वर्ग का प्राप्त मान = 9.514

तालिका सं0 9 का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि कुल अल्प शिक्षित उत्तरदाताओं में से 42.19% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम, 32.81% उत्तरदाता आंशिक रूप से एवं 25.00% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक संतुष्ट हैं, जबकि मध्यम शिक्षित उत्तरदाताओं में से 45.61% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से आंशिक, 31.58% उत्तरदाता बहुत अधिक एवं 22.81% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम संतुष्ट हैं। वहीं कुल उच्च शिक्षित उत्तरदाताओं में से 44.83% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक, 37.93ः उत्तरदाता आंशिक रूप से एवं 17.24% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम संतुष्ट हैं। स्पष्ट है कि देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि में उनके शैक्षिक वर्गवार अन्तर है।

देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि के शैक्षिक वर्गवार वितरण का आगणित काई–वर्ग का मान (9.514) स्वतंत्रता अंश 4 एवं संभाव्यता स्तर 0.05 पर काई–वर्ग के तालिका मान (9.488) से अधिक है, जो यह स्पष्ट करता है कि देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि में शैक्षिक वर्गवार सार्थक अन्तर है।

तालिका सं0 10 : उत्तरदाताओं में देखभाल से संतुष्टि का आर्थिक स्थितिवार वितरण

देखभाल से संतुष्टि	देखभाल से संतुष्टि की आर्थिक वर्गवार स्थिति						कुल संख्या
	कमजोर		औसत		अच्छी		
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
बहुत अधिक	12	23.53	16	28.57	19	44.19	47
आंशिक	16	31.37	26	46.43	16	37.21	58
बहुत कम	23	45.10	14	25.00	8	18.60	45
योग	**51**	**100.00**	**56**	**100.00**	**43**	**100.00**	**150**

काई वर्ग का प्राप्त मान = 11.196

तालिका सं0 10 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले कुल उत्तरदाताओं में से 45.10% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम, 31.37% उत्तरदाता आंशिक रूप से एवं 23.53% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक संतुष्ट हैं, जबकि औसत आर्थिक स्थिति वाले कुल उत्तरदाताओं में से 46.43% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से आंशिक, 28.57% उत्तरदाता बहुत अधिक एवं 25.00% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम संतुष्ट हैं। वहीं अच्छी आर्थिक स्थिति वाले कुल उत्तरदाताओं में से 44.19% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत अधिक, 37.21% उत्तरदाता आंशिक रूप से एवं 18.60% उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से बहुत कम संतुष्ट हैं।

स्पष्ट है कि देखभाल की स्थिति से संतुष्टि के अनुसार उत्तरदाताओं के आर्थिक स्थितिवार वितरण में अन्तर है। देखभाल की स्थिति से संतुष्टि के अनुसार उत्तरदाताओं के आर्थिक स्थितिवार वितरण का आगणित काई–वर्ग का मान (11.196) स्वतंत्रता अंश 4 एवं संभाव्यता स्तर 0.05 पर काई–वर्ग के तालिका मान (9.488) से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि

देखभाल की स्थिति से संतुष्टि के अनुसार उत्तरदाताओं के आर्थिक स्थितिवार वितरण में सार्थक अन्तर है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत् हैं–

1. अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष स्पष्ट करते हैं कि परिवार, पड़ोस व समाज के सदस्यों/देखभालकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, उससे उत्तरदाताओं को अक्सर या कभी–कभी ऐसा लगता है कि उनके साथ यथोचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उत्तरदाताओं ने परिवार व समाज के सदस्यों द्वारा किये जा रहे व्यवहार में अधिकांशतः या कभी–कभी अवमानना (84.00:), उपेक्षा (76.00:), अपमान (70.00:) और/या तिरस्कार (62.67:) का भाव अनुभव किया है।
2. उत्तरदाताओं ने अपने साथ दुर्व्यवहार/उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों में पुत्र (65.33:), पुत्रवधू (58.67:), पड़ोसी (30.67:), पौत्र–पौत्री (14.00:), जीवन–साथी (14.00:), पुत्री–दामाद (12.00:) और देखभालकर्ता (5.33:) को सम्मिलित किया है।
3. लगभग एक–चौथाई (24.00:) उत्तरदाताओं को दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने में सहायक की आवश्यकता अधिकतर (16.00:) या (8.00:) हमेशा महसूस होती है, जबकि इतने ही (24.00:) उत्तरदाताओं को अपनी दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिए सहायक की आवश्यकता कभी भी महसूस नहीं होती है।
4. आवश्यकता पड़ने पर उत्तरदाताओं को उनकी दैनिक क्रियाएं सम्पन्न कराने में सहायता करने वाले व्यक्तियों में पुत्र/पुत्रवधू (23.33:), जीवन साथी (20.00:), पड़ोसी/देखभालकर्ता (5.33:), पौत्र–पौत्री (4.00:), और पुत्री–दामाद (3.33:) सम्मिलित हैं।
5. बीमार पड़ने पर उत्तरदाताओं को उपचार हेतु किसी चिकित्सक के पास या चिकित्सालय ले जाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में पुत्र/पुत्रवधू (54.00:), जीवन साथी (12.67:), पड़ोसी/देखभालकर्ता (9.33:), पुत्री–दामाद (7.33:) और पौत्र–पौत्री (6.00:) सम्मिलित हैं।
6. बीमार होने की स्थिति में उत्तरदाताओं की घर में देखभाल करने वाले व्यक्तियों में पुत्र/पुत्रवधू (51.33:), जीवन साथी (18.00:), पुत्री–दामाद (14.00:), पौत्र–पौत्री (9.33:), और पड़ोसी/देखभालकर्ता (4.67:) सम्मिलित हैं।
7. वहीं 44.00: उत्तरदाताओं का कहना है कि दैनिक क्रियाओं को सम्पन्न करने में या तो कोई भी उनकी सहायता नहीं करता या फिर उन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है। साथ ही 10.67: उत्तरदाताओं का यह भी कहना है कि बीमार पड़ने पर उपचार हेतु किसी चिकित्सक के पास या चिकित्सालय जाने में कोई भी उनकी सहायता नहीं करता और कुछ (2.67:) उत्तरदाताओं के अनुसार बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल भी कोई नहीं करता।
8. दो–तिहाई से भी अधिक (68.67:) उत्तरदाता अपनी देखभाल की स्थिति से आंशिक (38.67:) या बहुत कम (30.00:) संतुष्ट हैं।
9. देखभाल की स्थिति से उत्तरदाताओं की संतुष्टि में लिंगवार (X^2= 6.900, स्वतंत्रता अंश 2), शैक्षिक वर्गवार (X^2= 9.514, स्वतंत्रता अंश 4) तथा आर्थिक स्थितिवार (X^2= 11.196, स्वतंत्रता अंश 4) सार्थक अन्तर है, यद्यपि उत्तरदाताओं की देखभाल से संतुष्टि के स्तर में आयु वर्गवार (X^2= 6.143) तथा सामाजिक वर्गवार (X^2= 7.692) सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि अपनी देखभाल की स्थिति से युवावृद्धों की अपेक्षा वयोवृद्ध कम संतुष्ट हैं, जबकि अधिक व संतोषजनक देखभाल की अधिक आवश्यकता वयोवृद्धों को ही होती है। इसी तरह देखभाल से संतुष्टि का स्तर पुरुष वृद्धों की अपेक्षा महिला वृद्धों में कम है। वहीं सामाजिक वर्ग, शिक्षा एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि के साथ देखभाल से संतुष्टि का स्तर भी बढ़ रहा है। स्पष्ट है कि पूर्व–वंचित समूह अपनी वृद्धावस्था में उचित देखभाल से भी अपेक्षाकृत अधिक वंचित होता है। हेल्पएज इंडिया (2011), एजवेल फाउण्डेशन (2017), वर्द्धन (2017), हेल्पएज इण्डिया (2018) आदि अध्ययनों में भी इसी तरह के निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं।

वृद्धों के साथ उनके परिवार, पड़ोस या समाज के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यवहार, जो दुर्व्यवहार तो है (जैसे उपेक्षा, अवमानना, तिरस्कार या अपमान का भावयुक्त व्यवहार), लेकिन कानूनन अपराध नहीं है, तो प्रशासन या न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अतः यह जिम्मेदारी परिवार और समाज के युवावर्ग पर ही है कि वह अपने वृद्धों का सम्मान करे, उनके साथ ऐसा व्यवहार करे कि इन वृद्धजनों को यह न लगे कि उनकी उपेक्षा, या अवमानना की जा रही है। साथ ही अपने बच्चों में भी ऐसे ही सुसंस्कार पैदा करे, क्योंकि आखिरकार वर्तमान के युवाओं को भी कल वृद्धावस्था के दौर से गुजरना पड़ेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सेनगुप्ता, पदमिनी. 1974. दि स्टोरी ऑफ वीमेन इन इण्डिया. इण्डियन बुक कं0, नई दिल्ली. पृ0 5.*
2. *बेकर, सी0. 1959. फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ ओल्डर पीपुल टुवर्ड्स बेटर अण्डरस्टैडिंग ऑफ द एजिंग. ब्लेकवेल. न्यूयार्क.*
3. *हैंडलर, पी0. 1960. ''रेडिएशन एण्ड एजिंग''. इन शॉक, एन0डब्ल्यू0 (एडी0). एजिंग. अमेरिकन एसोसिएशन फार दि एडवांसमेंट ऑफ साइंस, वाशिंग्टन, डी0सी0.*
4. *वर्द्धन, आर0. 2017. ''एल्डर एब्यूज एण्ड एल्डर विक्टिमाइजेशन : ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस''. इंटरनेशनल एनल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वा0–55, इश्यू–1, मई. पृ0 99.*
5. *गोस्वामी, आई0. 2005. एजिंग इण्डिया, सोशियोलॉजिकल इश्यूज. पेपर प्रजेंटेड इन इण्डियन सोशियोलॉजिकल कांग्रेस.*

6. *एन0एस0एस0ओ0. 2006. मॉर्बिडिटी, हेल्थ केयर एण्ड दि कंडीशन ऑफ एज्ड. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली.*
7. *सिंह, ए0पी0. 2011. ''वृद्ध अब अनवांटेड''. मानव अधिकार पत्रिका, अंक–1. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल (म0प्र0). पृ0 30–31.*
8. *यादव, के0एन0एस0. 2011. एजिंग सम इमर्जिंग इश्यूज. मानक पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली. पृ0 6.*
9. *हेल्पएज इण्डिया. 2010. इकोनॉमिक एण्ड हेल्थ सर्वे आन इण्डियाज ओल्डेस्ट ओल्ड. हेल्प एज इण्डिया, नयी दिल्ली.*
10. *शर्मा, सी0 एण्ड चौधरी, बी0. 2011. ''प्राब्लम्स ऑफ एल्डरली एण्ड दियर केयर''. जर्नल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, वा0–36, नं0–2. पृ0 145–151.*
11. *हेल्पएज इंडिया. 2011. एल्डर्स एब्यूज एण्ड क्राइम इन इण्डिया. हेल्पएज इंडिया, नई दिल्ली.*
12. *एजवेल फाउण्डेशन. 2017. चेंजिंग नीड्स एण्ड राइट्स ऑफ ओल्डर पीपल इन इण्डिया : ए रिव्यू. एजवेल फाउण्डेश, नई दिल्ली.*
13. *वर्द्धन, आर0. 2017. ''एल्डर एब्यूज एण्ड एल्डर विक्टिमाइजेशन : ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस''. इंटरनेशनल एनल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वा0–55, इश्यू–1, मई. पृ0 99–113.*
14. *वार, एम0ए0, अखून, टी0एच0 एण्ड अहमद, जेड0. 2018. ''सोशियो–साइकोलॉजिकल प्राब्लम्स ऑफ एल्डरली इन कश्मीर विथ स्पेशल रिफरेन्स टू श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट''. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज, वा0–7, इश्यू–6, अक्टूबर–नवम्बर. पृ0 127–132.*
15. *हेल्पएज इण्डिया. 2018. एल्डर एब्यूज इन इण्डिया–2018 : चेंजिंग कल्चरल इथोज एण्ड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नालॉजी. हेल्पएज इण्डिया, नई दिल्ली.*